

मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई, 1999 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 15 जुलाई, 1999 (आषाढ 24, 1921)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री-

(क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार-

- (i) वित्त लेखे वर्ष 1997-98,
- (ii) विनियोग लेखे वर्ष 1997-98,
- (iii) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 1998 को समाप्त वर्ष का क्रमांक 2 (वाणिज्यिक);
- (iv) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 1998 को समाप्त वर्ष क्रमांक 1 (राजस्व प्राप्ति); तथा
- (v) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 1998 को समाप्त वर्ष क्रमांक 3 (सिविल) एवं क्रमांक 4 (सिविल); एवं

(ख) मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 (क्रमांक 19 सन् 1995) की धारा 11 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-1-99-तैईस-यो-2, दिनांक 30 मार्च, 1999

पटल पर रखेंगे.

(2) श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री-

(क) महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1995 (क्रमांक 37 सन् 1995) की धारा 39 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, जबलपुर का परिनिधिम, अध्यादेश एवं विनियम, तथा

(ख) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1991 (क्रमांक 23 सन् 1991) की धारा 17 की अपेक्षानुसार बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1996-97

पटल पर रखेंगे.

(3) श्री सत्यनारायण शर्मा, विधि और विधायी कार्य मंत्री-

(क) मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण अधिनियम, 1983 (क्रमांक 29 सन् 1983) की धारा 31 की अपेक्षानुसार विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 314-मा-अ-99, दिनांक 18 मई, 1999; तथा

(ख) मध्यप्रदेश वृत्तिकर अधिनियम, 1995 (क्रमांक 16 सन् 1995) की धारा 28 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-5-2-99-विक-पांच (52), दिनांक 11 मई, 1999

पटल पर रखेंगे.

(4) श्री नरेन्द्र भंवरलाल नाहटा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम मर्यादित भोपाल का चौदहवाँ वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा दिनांक 31 मार्च, 1995 को समाप्त वर्ष के लिए पटल पर रखेंगे.

(5) श्री महेन्द्र सिंह, कृषि मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य भूमि विकास निगम (संशोधन) अधिनियम, 1997 (क्रमांक 28 सन् 1997) की धारा 35 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य भूमि विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1997-98 पटल पर रखेंगे.

